विक्रय पत्र एवं जांच से संतुष्ट होने पर उक्त नामा. पर कार्यवाही करनी चाहिए थी, ात्र आई.एल.आर की जांच रिपोर्ट के अभाव में उक्त नामा. अस्वीकार किया है वह ात एवं न्याय संगत नहीं है।

परोक्त विवेचन फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है उक्त आक्षेपित नामा. सं. 1069 वाके ग्राम कायमपुराबास तहसील कोटपूतली निर्णय 12/6/2018 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली को अपास्त किया जाता है तथा लदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि उभय पक्षकारान् को सुनवायी का त अवसर प्रदान कर विक्रय पत्र को मध्यनजर रखते हुये पुनः विधि सम्मति निर्णय करें तथा अपीलान्ट के हक में मुताबिक विक्रय पत्र राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की ाही करें। तहसीलदार कोटपूतली को पालनार्थ हेतु उक्त आशय की तहरीर जारी हो। ली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

य आज दिनांक 16.5.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय नाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)